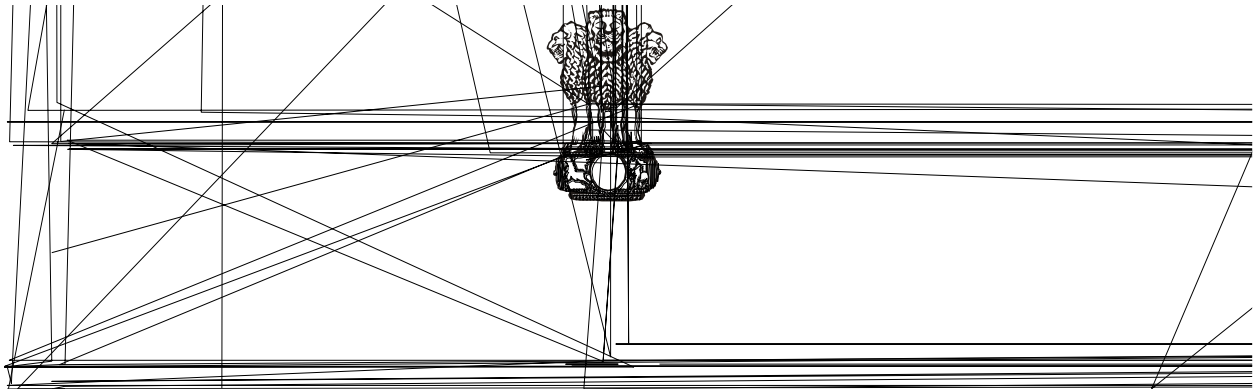




सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082023-248296
CG-DL-E-24082023-248296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड —उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]

No. 484]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त, 23, 3/भाद्र 1, 5
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA 1, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 619(अ).—पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त धारा की उप-धारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर, इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित है, की प्रतियां, आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली- 110001 को या bikram.87@nic.in और ipr-patents@gov.in पर ई-मेल द्वारा भेज दिए जाएं;

निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. (i) इन नियमों को 'मसौदा पेटेंट (संशोधन) नियम, 2023' कहा जाएगा।

- (ii) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. पेटेंट नियम, 2003 में, जिसे इसके बाद 'मूल नियम' कहा गया है, के नियम 12 में,
- (i) खंड (2) में, 'ऐसी फाइलिंग की तारीख से छः माह' शब्दों को 'आपत्ति का प्रथम विवरण जारी किए जाने की तारीख से दो माह' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) खंड (3) में, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-
- "3. नियंत्रक, भारत के बाहर किसी देश में आवेदन पर कार्यवाही से संबंधित जानकारी पर विचार करेगा जिस तक सार्वजनिक डाटाबेस का इस्तेमाल करके पहुंचा जा सकता है।
4. नियंत्रक, धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, नियंत्रक द्वारा ऐसी सूचना मांगने की तारीख से दो माह के भीतर, आवेदक को प्रपत्र 3 में नया विवरण और घोषणापत्र प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है।
5. उप-नियम (1), (2) अथवा (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, नियंत्रक प्रपत्र 4 में अनुरोध किए जाने पर प्रपत्र 3 की फाइलिंग में विलंब को माफ कर सकता है।"
3. मूल नियम के नियम 13 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित को शामिल किया जाए, नामतः -
- '(2क) कोई पेटेंट आवेदक, यदि वह चाहे तो, अनंतिम विनिर्देश में उल्लिखित आविष्कारों सहित धारा 16 के तहत मंडलीय आवेदन दायर कर सकता है।'
4. मूल नियम के नियम 24ख में,-
- क. उप-नियम (1) में, 'अड़तालीस' शब्द जहां भी आया हो, उसे 'इकतीस' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ख. उप-नियम (1) में, खंड (v) के बाद निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, नामतः -
- '(vi) पेटेंट (संशोधन) नियम, 2023 के लागू होने से पहले दायर किए गए आवेदन के संबंध में, इस उप-नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 11ख की उप-धारा (1) के तहत परीक्षण हेतु अनुरोध पेटेंट (संशोधन) नियम, 2006 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर दायर किया जाएगा।'
- ग. उप-नियम (6) में, 'उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को 'इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. मूल नियम के नियम 24ग में, उप-नियम (11) में, 'उप-नियम (10) में विनिर्दिष्ट शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को 'इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. मूल नियम में, नियम 29 के बाद, निम्नलिखित नियम को शामिल किया जाएगा, नामतः -
- '29क. रियायत अवधि - धारा 31 के तहत रियायत अवधि प्राप्त करने के लिए प्रपत्र 31 में आवेदन दायर किया जाएगा।'
7. मूल नियमों में, नियम 55 में:
- क. उप-नियम (3) में 'अभ्यावेदन' शब्द को 'अभ्यावेदन, नियंत्रक सबसे पहले यह निर्णय लेगा कि क्या अभ्यावेदन विचार योग्य है और तत्पश्चात्' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ख. उप-नियम (4) में शब्द 'तीन' को शब्द 'दो' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ग. उप-नियम (5) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, नामतः -
- '(6) अभ्यावेदन तथा सुनवाई, यदि इसका अनुरोध किया गया हो, के दौरान किए गए निवेदन पर विचार करने के बाद, नियंत्रक अभ्यावेदन को अस्वीकार करने और पेटेंट अनुदान करने अथवा अभ्यावेदन को स्वीकार करने तथा संबंधित आवेदन पर पेटेंट अनुदान को अस्वीकार करने संबंधी कार्यवाई करेगा, यह कार्यवाई सामान्यतः उपर्युक्त कार्यवाही के पूरा होने के तीन माह के भीतर की जाएगी।'
- (7) नियम 62 के उप-नियम (2) से (4) और नियम 63 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, जहां तक हो सके, इस नियम के तहत सुनवाई की प्रक्रिया पर लागू होगी।

(8) ऐसा पेटेंट आवेदन, जिसके लिए आपत्ति का अभ्यावेदन दायर किया गया है तथा इसे विचार योग्य पाया गया है, उसका परीक्षण नियम 24ग के अनुसार किया जाएगा।'

8. मूल नियम के नियम 56 में, उप-नियम (4) में 'तीन' शब्द को 'दो' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
9. मूल नियम के नियम 80 में, उप-नियम (3) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -
 - (3) दो वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के संबंध में देय वार्षिक नवीकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि जहां कम से कम 4 वर्ष की अवधि के संबंध में ई-फाइलिंग के जरिए नवीकरण शुल्क के लिए अग्रिम भुगतान किया जाएगा, वहां, ऐसे भुगतान पर शुल्क में दस प्रतिशत की कटौती लागू होगी।'
10. मूल नियम के नियम 110 में, उप-नियम (2) में,-
 - क. 'पेटेंट अधिनियम और नियम' शब्दों को 'पेटेंट अधिनियम, 1970, पेटेंट नियम, 2003, डिजाइन अधिनियम, 2000 और डिजाइन नियम, 2001' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - ख. 'पेटेंट विनिर्देशों' शब्दों को 'पेटेंट विनिर्देशों, डिजाइन विनिर्देशों' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
11. मूल नियम के नियम 131 में, उप-नियम (2) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -
 - (2) उप-नियम (1) में संदर्भित विवरण तीन वित्त वर्षों की प्रत्येक अवधि के संबंध में एक बार प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत उस वित्त वर्ष के तुरंत बाद शुरू होने वाले वित्त वर्ष से होगी जिसमें पेटेंट अनुदान किया गया था, तथा ये विवरण ऐसी प्रत्येक अवधि की समाप्ति के छः माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे:
 - बशर्ते कि नियंत्रक, प्रपत्र 4 में अनुरोध किए जाने पर ऐसे विवरण को दायर करने में हुए विलंब को माफ कर सकता है।'
12. मूल नियम के नियम 138 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -
 - '138. निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने की शक्ति- (1) इन नियमों द्वारा किसी कार्य को करने अथवा इनके तहत कोई कार्यवाही करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को नियंत्रक द्वारा 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, यदि वह इसे उचित समझता है और ऐसा उसके द्वारा निर्देशित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
 - (2) इस नियम के तहत समय-सीमा बढ़ाने का कोई भी अनुरोध, उप-नियम(1) में उल्लिखित 6 माह तक की अवधि के समाप्त होने से पूर्व प्रपत्र 4 में किया जाएगा।'
13. मूल नियमों में, पहली अनुसूची की सारणी 1 को निम्नलिखित सारणी से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

1	2	3	4	5	6	7
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	अनंतिम या पूर्ण विनिर्देशों के साथ धारा 7, 54* और 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर -	1	1600 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 1600 के गुणज में	8000 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 8000 के गुणज में	1750 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 1750 के गुणज में	8800 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 8800 के गुणज में
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए, नियम (9) के उप नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए;		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1750
	(iii) नियम (9) के उप नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए। * धारा 54 के तहत पेटेंट के लिए किया गया आवेदन अन्य आवेदनों की तुलना में शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी हेतु पात्र होगा।		(iii) 160 अधिकतम 24000 के अध्यधीन	(iii) 800 अधिकतम 120000 के अध्यधीन	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं
2.	अनंतिम विनिर्देश के पश्चात् सम्पूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों -	2	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विवरण पन्ने के लिए, नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए।		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1800
	(iii) नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और, या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए। नोट: धारा 54 के तहत पेटेंट के लिए किए गए आवेदन से संबंधित कोई विनिर्देश अन्य विनिर्देशों की तुलना में शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी हेतु पात्र होगा।		(iii) 160 अधिकतम 24000 के अध्यधीन	(iii) 800 अधिकतम 120000 के अध्यधीन	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं

3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबद्धता दायर करने पर।	3	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
4.	i) धारा 53(2) और 142(4), नियम 13(6), 80(1क) और 130 (प्रतिमाह) के अन्तर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध।	4	480	2400	530	2600
	ii) नियम 24 ख के उप-नियम (6) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)।	4	1000	4000	1100	4400
	iii) नियम 24 ग के उप-नियम (11) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)	4	2000	10000	2200	11000
	iv) नियम 138 के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)	4	10000	50000	11000	55000
5.	नियम 13 के उप-नियम (6) के अधीन आविष्कारवृत्ति के अनुसार घोषणा दायर करने पर।	5	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर।	-	800	4000	880	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन संदर्भ के लोप हेतु आवेदन पर।	-	800	4000	880	4400
8.	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर;	6	800	4000	880	4400
	(ii) धारा 20(4) या 20(5) के अधीन निदेश के लिए अनुरोध पर।	6	800	4000	880	4400
9.	(i) धारा 25 (2) के तहत पेटेंट प्रदान करने पर विरोध की सूचना पर	7	प्रविष्टि 1, 2, 12, 27, 28, 29, जो भी लागू हो, के संबंध में वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि का जोड़	प्रविष्टि 1, 2, 12, 27, 28, 29, जो भी लागू हो, के संबंध में वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि का जोड़	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं

	(ii) धारा 25 (1) के तहत पेटेंट प्रदान करने पर विरोध के प्रस्तुतीकरण पर	7 क	प्रविष्टि 1, 2, 12, 27, 28, 29, जो भी लागू हो, के संबंध में वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि का जोड़	प्रविष्टि 1, 2, 12, 27, 28, 29, जो भी लागू हो, के संबंध में वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि का जोड़	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं
10.	नियम 62 (2) के अधीन यह नोटिस देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।	-	1500	7500	1700	8300
11.	धारा 28(2), के अधीन आवेदन पर।	8	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
	धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन आवेदन पर।	8	800	4000	880	4400
12.	धारा 11क(2) और नियम 24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	12500	2750	13750
13.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	12000	2650	13200
14.	धारा 51(1) या 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवेदन पर।	11	2400	12000	2650	13200
15.	धारा 26(1) और 52(2) के अधीन पेटेंट प्रदान करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	12000	2650	13200
16.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में संपरिवर्तित करने के अनुरोध पर।	-	2400	12000	2650	13200

(iv)	पांचवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सत्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvi)	सत्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष के संबंध में।		8000	40000	8800	44000
18.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन या सम्पूर्ण विनिर्देश या अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13				
(i)	पेटेंट अनुदान करने से पूर्व;		800	4000	880	4400
(ii)	पेटेंट अनुदान करने के पश्चात्;		1600	8000	1750	8800

(iii)	जहाँ नाम या पता या राष्ट्रीयता या सेवार्थ पते में संशोधन होना है।		320	1600	350	1750
19.	धारा 57(4), 61(1) और 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध की सूचना या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर।	14	2400	12000	2650	13200
20.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	12000	2650	13200
21.	धारा 61(3) और नियम 86(1) के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त शुल्क।	—	4800	24000	5300	26400
22.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की नोटिस पर।	—	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
23.	धारा 69(1) या 69(2) और नियम 90(1) या 90 (2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के लाइसेंसधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।	16	1600 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,000 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	1750 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,800 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)
24.	नियम 94 (1) या नियम 118 (1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पर।	—	320	1600	350	1750
25.	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर।	—	800	4000	880	4400
26.	धारा 84 (1), 91 (1), 92(1) और धारा 92क के अधीन अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन पर।	17	2400	12000	2650	13200
27.	पेटेंट के लिए आवेदन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर - (i) धारा 11ख और नियम 24 (1) के अधीन;	18	4000	20000	4400	22000

	(ii) नियम 20(4)(ii) के अधीन।		5600	28000	6150	30800
28.	नियम 24ग के अधीन पेटेंट के आवेदन के त्वरित परीक्षण के अनुरोध पर।	18 क	8000	60000	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं
29.	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए दायर अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन शीघ्र परीक्षण के अनुरोध में परिवर्तित करने पर।	18 क	4000	40000	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं
30.	धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर।	19	2400	12000	2650	13200
31.	धारा 88(4) के अधीन लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।	20	2400	12000	2650	13200
32.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य लाइसेंस की समाप्ति के लिए अनुरोध पर।	21	2400	12000	2650	13200
33.	नियम 109 (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	लागू नहीं	3500	लागू नहीं
34.	नियम 109 (3) के अधीन अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध पर।	—	1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं
35.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए — (i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की (ii) प्रत्येक वर्ष के लिए पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।	—	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
		—	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
36.	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिए।	--	1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं

37.	नियम 117 (1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	23	1600 (प्रविष्टि संख्या 35 के अधीन जारी रखने की शुल्क के अलावा)	लागू नहीं	1750 (प्रविष्टि संख्या 34 के अधीन जारी रखने की शुल्क के अलावा)	लागू नहीं
38.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।	—	800	4000	880	4400
39.	धारा 77(1)(च) या 77(1) (छ) के अधीन नियंत्रक के निर्णय या आदेश की समीक्षा या लंबित रखने के लिए आवेदन पर।	24	1600	8000	1750	8800
40.	धारा 39 और नियम 71(1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवेदन के लिए अनुमति हेतु आवेदन पर।	25	1600	8000	1750	8800
41.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन डुप्लिकेट पेटेंट के लिए आवेदन पर।	—	1600	8000	1750	8800
42.	(i) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 (1) के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध पर।	—	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
	(ii) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के अनुरोध पर या धारा 147 और नियम 133(2) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए।	--	2400 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	12000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	3300 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	13200 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)
43.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	—	800	4000	880	4400

44.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74क के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।	—	320	1600	350	1750
45.	धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर।	—	480	2400	530	2650
46.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्रपत्र पर।	26	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
47.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।	—	1600	8000	1750	8800
48.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए प्रति पृष्ठ।	—	10	10	10	10
49.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण शुल्क।	—	3200	16000	3500	17600
50.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण शुल्क (ई-पीसीटी दायर करने के लिए)।	—	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
51.	वरीयता दस्तावेज की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।	—	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
52.	वरीयता दस्तावेज की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और डब्ल्यूआईपीओ डीएस के माध्यम से ई-पारेषण के लिए।	—	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
53.	धारा 146(2) और नियम 131(1) के अधीन भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण से संबंधित विवरण पर।	27	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
54.	लघु इकाई, स्टार्टअप अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान होने का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे	28	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

55.	धारा 11ख (4) और नियम 7 (4क) और 26 के अधीन आवेदन वापस लेने हेतु अनुरोध	29	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
56.	नियम 129क के अधीन सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध (प्रत्येक स्थगन के लिए)।	-	1000	5000	1100	5500
57.	नियम 8(2) के अधीन विविध प्रपत्र, जब अन्य कोई प्रपत्र निर्धारित न किया गया हो तब प्रयोग करने के लिए।	30	यथा लागू			
58.	रियायत अवधि	31	11200	84000	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं

14. मूल नियमों में, दूसरी अनुसूची में

(i) प्रारूपों की सूची में, “प्रारूप संख्या 30” के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात:

“31	धारा 31 और नियम 29 क	रियायत अवधि”
-----	----------------------	--------------

(ii) “प्रारूप संख्या 1” के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्रारूप 1 पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 पेटेंट के अनुदत्त के लिए आवेदन (धारा 7, 54 और नियम 135 तथा नियम 20 का उप- नियम (1) देखिए)		(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)				
		आवेदन संख्या.				
		फाइल किए जाने की तारीख:				
		संदत्त शुल्क की रकम:				
		सीबीआर संख्या:				
		हस्ताक्षर:				
1. आवेदक का संदर्भ/पहचान क्रमांक (जो कार्यालय द्वारा आवंटित)						
2. आवेदन का प्रकार [उचित श्रेणी में (✓) का निशान लगाएं]						
सामान्य ()		कन्वेन्शन ()		पीसीटी-एनपी ()		पीपीएच ()
मंडलीय ()	अतिरिक्त पेटेंट ()	मंडलीय ()	अतिरिक्त पेटेंट ()	मंडलीय ()	अतिरिक्त पेटेंट ()	अतिरिक्त पेटेंट ()

3 क. आवेदक (आवेदकों का)						
पूरा नाम	लिंग (वैकल्पिक)	राष्ट्रीयता	निवास का देश	आयु (प्रकृत व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक)	आवेदक का पता	
					मकान नं.	
					गली	
					शहर	
					राज्य	
					देश	
					पिन कोड	
3 ख. आवेदक की श्रेणी [कृपया उचित श्रेणी में (✓) टिक लगाएँ]						
प्रकृत व्यक्ति ()		प्रकृत व्यक्ति से भिन्न ()			शिक्षण संस्थान ()	
		लघु इकाई ()	स्टार्टअप ()	अन्य ()		
4. आविष्कारक(आविष्कारकों) की श्रेणी [कृपया समुचित श्रेणी में (✓) का निशान लगाएँ]						
क्या सभी आविष्कारक (आविष्कारकों) का नाम ऊपर नामित आवेदक (आवेदकों) के समान है?			हाँ ()		नहीं ()	
यदि नहीं " तो आविष्कारक (आविष्कारकों) का ब्यौरा प्रस्तुत करें						
पूरा नाम	लिंग वैकल्पिक ()	राष्ट्रीयता	आयु (प्रकृत व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक)	निवास का देश	आविष्कारक का पता	
					मकान नं.	
					गली	
					शहर	
					राज्य	
					देश	
					पिन कोड	
5. आविष्कार का नाम						
6. प्राधिकृत पेटेंट अभिकर्ता(ओं)				आईएन/पीए संख्या		
				नाम		
				मोबाइल नंबर		
7. भारत में आवेदक का सेवार्थ पता				नाम		
				डाक पता		
				दूरभाष नं.		
				मोबाइल नं.		
				फैक्स नं.		
				ईमेल		

8. कन्वेन्शन देश में आवेदन की पूर्विक्ता का दावा करने के आवेदन में, कन्वेन्शन आवेदन की विशिष्टियां					
देश	आवेदन संख्या	फाइल किए जाने की तारीख	आवेदक का नाम	आविष्कार का नाम	आईपीसी (जैसा कन्वेन्शन देश में वर्गीकृत है)
9. पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) राष्ट्रीय चरण आवेदन के मामले में, पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के अधीन फाइल किए गए अंतर्राष्ट्रीय आवेदन का विवरण					
अंतर्राष्ट्रीय आवेदन सं.			अंतर्राष्ट्रीय फाइल किए जाने की तारीख		
10. धारा 16 के अधीन मंडलीय आवेदन फाइल किए जाने के लिए, मूल (प्रथम) आवेदन की विशिष्टियां					
मूल (प्रथम) आवेदन सं.			मूल (प्रथम) आवेदन के फाइल करने की तारीख		
11. अतिरिक्त पेटेंट फाइल किए जाने के लिए, धारा 54 के अधीन फाइल आवेदन, मुख्य आवेदन या पेटेंट की विशिष्टियां					
मुख्य आवेदन/ पेटेंट सं.			मुख्य आवेदन फाइल किए जाने की तारीख		
12. घोषणाएं					
(i) आविष्कारक (कों) द्वारा घोषणा					
(आवेदक समनुदेशिती होने पर: आविष्कारक (कों) के साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकते हैं या आवेदक समनुदेशन अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है, या समनुदेशन को निर्धारित अवधि में डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है)।					
मैं/हम उपरोक्त नामित आविष्कारक(कों) इस आविष्कार के लिए सही और प्रथम आविष्कारक(कों) हूँ/हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदक (कों) मेरा/हमारा समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हा/हैं।					
(क) तारीख					
(ख) हस्ताक्षर					
(ग) नाम					
(ii) कन्वेन्शन देश में आवेदक(कों) द्वारा घोषणा					
(कन्वेन्शन देश का आवेदक भारत के आवेदक से भिन्न होने पर: कन्वेन्शन देश का आवेदक साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकता है या भारत में आवेदक कन्वेन्शन देश के आवेदक के समनुदेशन को अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है या समनुदेशन को निर्धारित अवधि में डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है।					
मैं/हम, कन्वेन्शन देश में आवेदक (कों) के रूप में घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसके आवेदक मेरे/हमारे समनुदेशिती है।					
(क) तारीख					
(ख) हस्ताक्षर					
(ग) नाम					
(iii) आवेदक (कों) द्वारा घोषणा					
मैं/हम आवेदक (कों) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि: -					
☐ ऊपर वर्णित आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में हैं।					
☐ आविष्कार से संबन्धित अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश इस आवेदन के साथ फाइल किया गया है।					

- ☐ विनिर्देश में प्रकट किए गए आविष्कार में भारत से जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है और मैं/हम, मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
- ☐ मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए आक्षेप का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है।
- ☐ मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक हूँ/हैं।
- ☐ मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक (कों) के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हूँ/हैं।
- ☐ मेरे/हमारे आविष्कार की बाबत आवेदन या आवेदनों में से प्रत्येक जिनका विशिष्टियां पैरा 8 में दिया गया है, कन्वेंशन देश/देशों में पहला आवेदन था।
- ☐ मैं/हम कन्वेंशन देश/देशों में फाइल किए गए ऊपर उल्लिखित आवेदन (नों) से पूर्विकता का दावा करता हूँ/करते हैं और कथन करता हूँ/ करते हैं कि आविष्कार की बाबत संरक्षण के लिए कोई आवेदन कन्वेंशन देश में उस तारीख से पहले मेरे/हमारे द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे मैं/हम हक व्युत्पन्न करता हूँ/करते हैं, नहीं किया गया है।
- ☐ मेरा/हमारा भारत में आवेदन पैरा-9 में यथा उल्लिखित पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के अधीन अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पर आधारित है।
- ☐ आवेदन मेरे/हमारे आवेदन में से विभाजित किया गया है, जिसमें पृथक आविष्कार बहुलता में शामिल हैं, जिनका विवरण पैरा 10 में दिया गया है और प्रार्थना है कि आवेदन को अधिनियम की धारा 16 के अधीन तारीखको फाइल किया गया समझा जाए।
- ☐ उक्त आविष्कार, उस आविष्कार का सुधार या उपांतरण है जिसका विवरण पैरा 11 में दिया गया है।

13. आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक हैं

(क) प्ररूप 2

मद	विवरण	शुल्क	टिप्पणियां
पूर्ण/अनंतिम विनिर्देश #	पृष्ठों की संख्या		
दावा(दावे) की संख्या	दावों की संख्या और पृष्ठों की संख्या		
सार	पृष्ठों की संख्या		
आरेखण (ओं) की संख्या	आरेखण की संख्या और पृष्ठों की संख्या		

पूर्ण विनिर्देश में, यदि आवेदक अनंतिम विनिर्देश के साथ फाइल आरेखनों को नियम 13(4) के अधीन पूर्ण विनिर्देश के आरेखन या आरेखनों के भाग के रूप में अपनाना चाहता है, अनंतिम विनिर्देश के ऐसे पृष्ठों के क्रमांक का अनंतिम विनिर्देशों के साथ उल्लेख करना अपेक्षित है।

(ख) पूर्ण विनिर्देश (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप) / अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(ग) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप रूप में अनुक्रम सूची

(घ) आरेखण (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप)/ अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(ङ) पूर्विकता प्राप्ति दस्तावेज़ या (डीएएस) अंकीय पहुँच सेवा से पूर्विकता दस्तावेज़ (जों) को प्राप्त करने का अनुरोध यदि आवेदक ने पहले फाइल करते समय पूर्विकता दस्तावेज़ डीएएस को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

(च) पूर्विकता प्राप्ति दस्तावेज़/विनिर्देश/अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट/ पेटेंट योग्यता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक रिपोर्ट का अनुवाद।

(छ) प्ररूप 3 में कथन और वचनबंध

(ज) प्ररूप 5 में आविष्कारीता की घोषणा

(झ) प्राधिकारी की शक्ति

(ञ)

कुल शुल्करुपए नकद/बैंकर चेक/ बैंक ड्राफ्ट सं० द्वारा तारीखबैंक
.....

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और सामग्री मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किया जाये।

.....आज तारीख20.....

हस्ताक्षर:

नाम:

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक

पेटेंट कार्यालय

पता.....

टिप्पण: -

*एक से अधिक प्रविष्टि की दशा में बाक्सों को दोहराएं।

*आवेदक (कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता द्वारा अन्यथा जहां उल्लिखित हो, हस्ताक्षर किया जाये।

*पैरा 12 की घोषणा में जो लागू हो/नहीं लागू हो उस पर सही (✓)/क्रास (x) का निशान लगाएं।

*अविष्कारक और आवेदक का पूरा, उप-नाम शुरूआत में दें

*उस/उन भाग/भागों को काट दें जो लागू नहीं होता है/होते हैं।

*शुल्क के लिए पहली अनुसूची देखिए।“;

(iii) “प्ररूप संख्या 3” के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 3 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध (धारा 8; नियम 12 देखिए)	
1. आवेदक (कों) का नाम	मैं/हम.....

एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं:					
2. संयुक्त आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता		(i) कि मैंने/हमने भारत में अकेले/संयुक्त रूप से के साथ दिनांक, को पेटेंट संख्याके लिए आवेदन किया है, (ii) यह कि मैंने/ हमने उसी आविष्कार/मूलतः उसी आविष्कार के लिए भारत से बाहर आवेदन नहीं किया है या (iii) कि मैंने/हमने अन्य देशों में उसी/तात्त्विक रूप से समान आविष्कार हेतु पेटेंट के लिए आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :			
देश का नाम	आवेदन की तारीख	आवेदन सं०	आवेदन की स्थिति	प्रकाशन की तारीख	निपटान की तारीख
3. समनुदेशिती का नाम और पता		(i) कि भारत में दायर आवेदन(नों) में अधिकार को समनुदेशित किया गया है/ हैं। (iii) कि मैं / हम नियंत्रक द्वारा पेटेंट अनुदान करने की तारीख तक, मैं / हम नियंत्रक को लिखित रूप में भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल किए गए संगत आवेदनों के विवरणों की सूचना धारा 8 और नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार देता रहूँगा/ देते रहेंगे। आज तारीख20.....			
4. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए		हस्ताक्षर			
5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं।		(.....).			
		सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....			
टिप्पण- जो लागू न हो उसे काट दें।;					

(iv) “प्ररूप संख्या 4” के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 4 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 समय विस्तार के लिए अनुरोध [धारा 53(2) और 142(4); नियम 12(5), 13(6), 24ख(6), 24ग(11), 80(1क), 130, 131(2) और 138]	
1. आवेदक का नाम	मैं/हम..... मेरे/हमारे आवेदन/ पेटेंट सं० के संबंध में धारा / नियम के अधीन माह के समय-विस्तारण के लिए अनुरोध करता हूँ/ करते हैं। अनुरोध करने के निम्नलिखित कारण हैं:-आज तारीख20.....
2. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	हस्ताक्षर (.....)
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं	
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
टिप्पण : शुल्क के लिए प्रथम अनुसूची देखिए”;	

(v) “प्ररूप संख्या 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

“प्रपत्र 27
 पेटेंट अधिनियम, 1970
 (1970 का 39)
 और
 पेटेंट नियम, 2003
कोई शुल्क नहीं
 भारत में वाणिज्यिक स्तर पर पेटेंट किए गए आविष्कार(रों) के कार्यकरण से संबंधित विवरण
 [धारा 146(2) और नियम 131 (1) देखें)

1. नाम, पता, राष्ट्रीयता और पेटेंट संख्या (संख्याएं) भरें	मैं/हम, पेटेंटधारक/लाइसेंसधारक पेटेंट सं. के सन्दर्भ में विवरण प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं, (स्पष्टीकरण: कई पेटेंटों के लिए एक प्रपत्र दायर किया जा सकता है, बशर्ते कि वे सभी संबंधित पेटेंट हों और एक ही पेटेंटधारक(कों) को प्रदान किए गए हों)।		
2. वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें जिससे विवरण संबंधित है	वित्तीय वर्ष..... से संबंधित		
3. कार्यकरण किया/ नहीं किया।	पेटेंट संख्या	कार्यकरण किया [यदि लागू हो तो (✓) का निशान लगाएं]	कार्यकरण नहीं किया [यदि लागू हो तो (✓) का निशान लगाएं]
कृपया बताएं कि प्रत्येक पेटेंट, जिसके लिए यह प्रपत्र दायर किया जा रहा है, ने कार्यकरण किया या नहीं किया।			
	ऊपर दिए गए तथ्य और मामले मेरे ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।आज तारीख माह 20.....		
4. पेटेंटधारक(धारकों)/ लाइसेंसधारक/ विवरण प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए	हस्ताक्षर सेवा में पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,		

टिप्पण: 1. प्रत्येक पेटेंटधारी और प्रत्येक लाइसेंसधारी (विशेष या अन्यथा) को यह प्रपत्र दायर करना आवश्यक है; जहां पेटेंट दो या दो से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है, यह प्रपत्र ऐसे सभी या किसी एक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किया जा सकता है।

2. पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 83 के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, एक पेटेंट आविष्कार को केवल इस आधार पर 'कार्यकरण नहीं किया गया' नहीं माना जाएगा कि पेटेंट उत्पाद भारत में आयात किया गया है।

(vi) प्रपत्र 30 के पश्चात, निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“प्रपत्र 31

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

छूट की अवधि

[धारा 31 और नियम 29क देखें]

1. नाम, पता, राष्ट्रीयता और आवेदन संख्या	मैं/हम, आवेदक, दिनांक..... को दायर आवेदन संख्या..... के संबंध में, एतद्वारा धारा 31 के तहत प्रदान की गई छूट अवधि के लाभ का दावा करता/करती/करते हैं।
2. लागू प्रावधान	☐ धारा 31(क) ☐ धारा 31(ख) ☐ धारा 31(ग)

	☐ धारा 31(घ)	
3. साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। नोट: साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र को भी शामिल किया सकता है।	(i) धारा 31(क)	निम्नलिखित के संदर्भ में: क) दिन/महीने/वर्ष के लिए बॉक्स में दर्शाने या उपयोग करने के लिए सबसे पहली तारीख; और ख) यह भी कि डिस्प्ले वास्तविक और प्रथम आविष्कारक या उससे टाइटल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सहमति से प्राप्त हुआ है ; और हां या नहीं में उत्तर दें। ग) यह डिस्प्ले किसी औद्योगिक या अन्य प्रदर्शनी में हुआ था, जिसके लिए इस धारा के प्रावधानों को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बढ़ाया गया है; निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
	(ii) धारा 31(ख)	निम्नलिखित के संदर्भ में: क) प्रकाशन या उपयोग में आने की सबसे पहली तारीख; ख) उपर्युक्त धारा 31 (क) के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य; और ग) जैसा कि धारा 31 (ख) में उल्लिखित है इस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य कि आविष्कार के किसी भी विवरण का प्रकाशन आविष्कार के डिस्प्ले या उपयोग के परिणामस्वरूप हुआ; निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
	(iii) धारा 31(ग)	निम्नलिखित के संदर्भ में: क) उपयोग में आने की पहली तारीख; ख) जैसा कि ऊपर उल्लिखित है; धारा 31 (क) या धारा 31(ख) के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य; और ग) धारा 31 (ग) में उल्लिखित आविष्कार के उपयोग के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य; और घ) दस्तावेजी साक्ष्य या यह शपथ पत्र कि आविष्कार का उपयोग वास्तविक और प्रथम आविष्कारक या उससे टाइटल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना हुआ; निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
	(iv) धारा 31(घ)	निम्नलिखित के संदर्भ में: क) विवरण या प्रकाशन की सबसे पहली तारीख; ख) वास्तविक और प्रथम आविष्कारक द्वारा विद्वत समाज के समक्ष पेपर में

	आविष्कार का विवरण पढ़ा जाना; ग) वास्तविक और प्रथम आविष्कारक द्वारा अथवा विद्वत समाज के लिए लेनदेन में उसकी सहमति के साथ प्रकाशित आविष्कार का विवरण; निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
4. वचनबद्धता	यह कि मेरा आविष्कार दिन/महीने/वर्ष से सार्वजनिक डोमेन में था और यह आवेदन उस तारीख से 12 महीने के बाद नहीं किया गया है (जैसा कि ऊपर बताया गया है धारा 31 (क), 31 (ख), 31 (ग), या 31 (घ) के संबंध में) ऊपर बताए गए तथ्य और मामले मेरे ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। दिनांक दिन 20.....
5. आवेदक/प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। नोट: शपथ पत्र, यदि कोई है तो आवेदनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।	हस्ताक्षर..... सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,
नोट: लागू विकल्प का चयन करें।"	

16. मूल नियमों में चौथी अनुसूची को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

चौथी अनुसूची

(नियम 136(1) का परन्तुक देखिए)

प्रविष्टि सं.	ऐसे विषय जिनकी बाबत लगाई जाती है।	राशि (रुपए में)	
		प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए।	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न या तो अकेले या अन्य प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में व्यक्तियों के लिए।
1	2	3	4
1.	धारा 25, 57, 60, 63, 78, 87(2) या 88(4) के अधीन आक्षेप की सूचना के लिए	2400	12000
2.	धारा 84(1), 91(1) या धारा 92(1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के आवेदन के लिए	1500	6000
3.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के पुनरीक्षण के संबंध में आवेदन के लिए	2400	12000
4.	धारा 62(2) के अधीन सुनवाई पर उपस्थित होने के आशय की सूचना के लिए	1500	6000
5.	जहां कोई पेटेंट अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की		

	नियुक्ति की गई है, वहां मुख्तारनामों के लिए स्टाम्प शुल्क या सुसंगत शपथ-पत्र के लिए स्टाम्प शुल्क	संदत्त वास्तविक राशि	संदत्त वास्तविक राशि
6.	नियम 57 के अधीन लिखित विवरणी के लिए या नियम 58 के अधीन उत्तर विवरणी या यदि सुसंगत हो, प्रत्येक शपथ-पत्र के लिए:	4000	5000
7.	यदि सुसंगत हो, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज या प्रकाशन के लिए जो कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए	1600	2000
8.	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ-पत्र या उद्धरण के लिए:	1600	2000
9.	नियंत्रक के समक्ष प्रत्येक दिवस या अंशदिवस की सुनवाई के लिए:	4000	5000
10.	नियम 136 का उपनियम (2)	पहली अनुसूची के प्रविष्टि 1, 2, 12, 27, 28, 29, जो भी लागू हो, के संबंध में वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि का जोड़	पहली अनुसूची के प्रविष्टि 1, 2, 12, 27, 28, 29, जो भी लागू हो, के संबंध में वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि के जोड़ का दो गुना

17. मूल नियम में 5वीं अनुसूची के शीर्ष

"क्र. सं.	जिस पर संदेय है (पेटेंट नियम- 2003 के संगत प्रावधान यदि कोई हैं)	समझौते के तहत विनियम के संगत नियम	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए।	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न या तो अकेले या अन्य प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में व्यक्तियों के लिए"।
-----------	--	-----------------------------------	-------------------------------------	---

को निम्नलिखित शीर्ष से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"क्र.सं.	जिस पर संदेय है (पेटेंट नियम- 2003 के संगत प्रावधान यदि कोई हैं)	समझौते के तहत विनियम के संगत नियम	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा लघु इकाई/(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान(नों) के लिए	अन्य, अकेले या अन्य प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा लघु इकाई/(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान(नों) के लिए"
----------	--	-----------------------------------	--	--

[फा. सं. पी. 24031/14/2023-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: उक्त नियम 2 मई, 2003 के का.आ. 493 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 646 (अ) तारीख 21 सितंबर, 2021 के द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2023

G.S.R. 619(E).—The following draft rules to further amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970, are hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Vanijya Bhawan, New Delhi- 110001 or by e-mail at bikram.87@nic.in and ipr-patents@gov.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called “The Draft Patents (Amendment), Rules, 2023”.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Patents Rules, 2003, hereinafter referred to as the ‘principal rules’, in rule 12:
 - (i) in clause (2), for the words ‘six months from the date of such filing’, the words ‘two months from the date of issuance of first statement of objections’ shall be substituted;
 - (ii) for clause (3), the following clause shall be substituted, namely,-

“3. The Controller shall consider the information relating to processing of the application in a country outside India that is accessible using public databases.
 4. The Controller may, under sub-section (2) of section 8, for reasons to be recorded in writing, direct the applicant to furnish a fresh statement and undertaking in Form 3 within two months from the date of such communication by the Controller.
 5. Notwithstanding anything contained in the sub-rules (1), (2) or (3), the Controller may condone the delay in filing of Form 3 upon a request made in Form 4.”
3. After sub-rule (2) of rule 13 of the principal rules, the following shall be inserted, namely,-

in sub-rule (3), for the word 'representation', the words 'representation, the Controller shall first decide the maintainability of the representation and thereafter' shall be substituted;

in sub-rule (4), for the word 'three', the word 'two' shall be substituted;

after sub-rule (5), the following shall be inserted namely,-

“(6) After considering the representation and submission made during the hearing if so requested, the Controller shall proceed to either reject the representation and granting the patent or accepting the representation and refusing the grant of patent on that application, ordinarily within three months from completion of above proceedings.

(7) The procedure specified in sub-rules (2) to (4) of rule 62, and rule 63, shall, so far as may be, apply to the procedure for hearing under this rule.

(8) An application for a patent, in which a representation for opposition has been filed and found maintainable, shall be examined in accordance with rule 24C.”

8. In rule 56 of the principal rules, in sub-rule (4), for the word 'three', the word 'two' shall be substituted.

9. In rule 80 of the principal rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely,-

“(3) The annual renewal fees payable in respect of two or more years may be paid in advance:

Provided that where the renewal fees is paid in advance via e-filing in respect of a period of at least 4 years, a ten per cent reduction in fee shall be applicable upon such a payment.”

10. In rule 110 of the principal rules, in sub-rule (2),-

a. for the words 'Patents Act and Rules', the words 'Patents Act, 1970, Patents Rules, 2003, Designs Act, 2000 and Designs Rules, 2001' shall be substituted;

b. for the words 'patent specifications', the words 'patent specifications, design specifications' shall be substituted.

11. In rule 131 of the principal rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely,-

(2) The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every period of three financial years, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the patent was granted, and shall be furnished within six months from the expiry of each such period:

Provided that the Controller may condone the delay in filing of such a statement upon a request made in Form 4.”

12. Rule 138 of the principal rules shall be substituted by the following rule, namely,-

"138. Power to extend time prescribed.- (1) The time prescribed by these Rules for the doing of any act or the taking of any proceeding thereunder may be extended by the Controller for a period of up to six months, if he thinks it fit to do so and upon such terms as he may direct.

(2) Any request for extension of time under this rule shall be made in Form 4 before the expiry of the period of up to six months mentioned in sub-rule (1).”

13. In the principal rules, for Table I of THE FIRST SCHEDULE, the following table shall be substituted,namely,-

“Number of Entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing		For physical filing	
			Natural person(s) or startup(s) or small entit(y)/(ies) or educational institution(s)	Other(s), alone or with natural person(s) or startup(s) or small entit(y)/(ies) or educational institution(s)	Natural person(s) or startup(s) or small entit(y)/(ies) or educational institution(s)	Other(s), alone or with natural person(s) or startup(s) or small entit(y)/(ies) or educational institution(s)
1	2	3	4	5	6	7
			Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
1.	On application for a patent under sections 7, 54* or 135 and rule 20(1) accompanied by provisional or complete specification—	1	1600	8000	1750	8800
			Multiple of 1600 in case of every multiple	Multiple of 8000 in case of every multiple	Multiple of 1750 in case of every multiple	Multiple of 8800 in case of every multiple priority.

			priority.	priority.	priority.	
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9);		(i) 160 (ii) 320 (iii) 160subject to a maximum of 24000	(i) 800 (ii) 1600 (iii) 800subject to a maximum of 120000	(i) 180 (ii) 350 Not allowed	(i) 880 (ii) 1750 Not allowed
	(ii) for each claim in addition to 10; (iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub- rule (3) of rule (9). * An application for a patent made under section 54 shall be eligible for a reduction of 50 per cent in fee as compared to other applications.					
2.	On filing complete specification after provisional up to 30 pages having up to 10 claims –	2	No fee	No fee	No fee	No fee
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9);		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) for each claim in addition to 10.		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1800
	(iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9). Note: A specification in respect of an application for a patent made under section 54 shall be eligible for a reduction of 50 per cent in fee as compared to other specifications.		(iii) 160subject to a maximum of 24000	(iii) 800subject to a maximum of 120000	Not allowed	Not allowed
3.	On filing a statement and undertaking under section 8.	3	No fee	No fee	No fee	No fee
4.	i) On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), 80(1A) and 130 (per month).	4	480	2400	530	2600

	ii) On request for extension of time under sub-rule (6) of rule 24B (per month).	4	1000	4000	1100	4400
	iii) On request for extension of time under sub-rule (11) of rule 24C (per month).	4	2000	10000	2200	11000
	iv) On request for extension of time under rule 138 (per month).	4	10000	50000	11000	55000
5.	On filing a declaration as to inventorship under sub-rule (6) of rule 13.	5	No fee	No fee	No fee	No fee
6.	On application for postdating.	-	800	4000	880	4400
7.	On application for deletion of reference under section 19 (2).	-	800	4000	880	4400
8.	(i) On claim under section 20(1);	6	800	4000	880	4400
	(ii) On request for direction under section 20 (4) or 20 (5).	6	800	4000	880	4400
9.	(i) On notice of opposition to grant of patent under section 25(2);	7	Aggregate of amounts actually paid in respect of entries 1, 2, 12, 27, 28, 29, as may be applicable	Aggregate of amounts actually paid in respect of entries 1, 2, 12, 27, 28, 29, as may be applicable	Not allowed	Not allowed
	(ii) On filing representation opposing grant of patent under section 25(1).	7A	Aggregate of amounts actually paid in respect of entries 1, 2, 12, 27, 28, 29, as may be applicable	Aggregate of amounts actually paid in respect of entries 1, 2, 12, 27, 28, 29, as may be applicable	Not allowed	Not allowed
10.	On giving notice that hearing before Controller shall be attended under rule 62(2).	-	1500	7500	1700	8300
11.	On application under section 28(2).	8	No fee	No fee	No fee	No fee
	On application under sections 28(3) or 28(7).	8	800	4000	880	4400
12.	Request for publication under section 11A(2) and rule 24A.	9	2500	12500	2750	13750
13.	On application under section 44 for amendment of patent.	10	2400	12000	2650	13200

14.	On application for directions under section 51(1) or 51(2).	11	2400	12000	2650	13200
15.	On request for grant of a patent under sections 26(1) and 52(2).	12	2400	12000	2650	13200
16.	On request for converting a patent of addition to an independent patent under section 55 (1).	-	2400	12000	2650	13200
17.	For renewal of a patent under section 53—					
(i)	before the expiration of the 2nd year from the date of patent in respect of 3rd year;	-	800	4000	880	4400
(ii)	before the expiration of the 3rd year in respect of the 4th year;	-	800	4000	880	4400
(iii)	before the expiration of the 4th year in respect of the 5th year;	-	800	4000	880	4400
(iv)	before the expiration of the 5th year in respect of the 6th year;	-	800	4000	880	4400
(v)	before the expiration of the 6th year in respect of the 7th year;	-	2400	12000	2650	13200
(vi)	before the expiration of the 7th year in respect of the 8th year;	-	2400	12000	2650	13200
(vii)	before the expiration of the 8th year in respect of the 9th year;	-	2400	12000	2650	13200
(viii)	before the expiration of the 9th year in respect of the 10th year;	-	2400	12000	2650	13200
(ix)	before the expiration of the 10th year in respect of the 11th year;	-	4800	24000	5300	26400
(x)	before the expiration of the 11th year in respect of the 12th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xi)	before the expiration of the 12th year in respect of the 13th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xii)	before the expiration of the 13th year in respect of the 14th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xiii)	before the expiration of the 14th year in respect of the 15th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xiv)	before the expiration of the 15th year in respect of the 16th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xv)	before the expiration of the 16th year in respect of the 17th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xvi)	before the expiration of the 17th year in respect of the 18th year;	-	8000	40000	8800	44000

(xvii)	before the expiration of the 18th year in respect of the 19th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xviii)	before the expiration of the 19th year in respect of the 20th year.	-	8000	40000	8800	44000
18.	On application for amendment of application for patent or complete specification or other related documents under section 57—	13				
(i)	before grant of patent;		800	4000	880	4400
(ii)	after grant of patent;		1600	8000	1750	8800
(iii)	where amendment is for changing name or address or nationality or address for service.		320	1600	350	1750
19.	On notice of opposition to an application under sections 57(4), 61(1) and 87(2) or to surrender a patent under section 63(3) or to a request under section 78(5).	14	2400	12000	2650	13200
20.	On application for restoration of a patent under section 60.	15	2400	12000	2650	13200
21.	Additional fee for restoration under section 61(3) and rule 86(1).	—	4800	24000	5300	26400
22.	On notice of offer to surrender a patent under section 63.	—	No fee	No fee	No fee	No fee
23.	On application for the entry in the register of patents of the name of a person entitled to a patent or as a share or as a mortgage or as licensee or as otherwise or for the entry in the register of patents of notification of a document under sections 69(1) or 69(2) and rules 90(1) or 90(2).	16	1600 (In respect of each patent)	8,000 (In respect of each patent)	1750 (In respect of each patent)	8,800 (In respect of each patent)
24.	On application for alteration of an entry in the register of patents or register of patent agents under rules 94(1) or rule 118(1).	—	320	1600	350	1750
25.	On request for entry of an additional address for service in the Register of Patents under rule 94(3).	—	800	4000	880	4400
26.	On application for compulsory license under sections 84(1), 91(1), 92(1) and 92A.	17	2400	12000	2650	13200
27.	On request for	18				

	examination of application for patent—					
	(i) under section 11B and rule 24(1);		4000	20000	4400	22000
	(ii) under rule 20(4)(ii).		5600	28000	6150	30800
28.	On request for expedited examination of application for patent under rule 24C.	18A	8000	60000	Not allowed	Not allowed
29.	Conversion of the request for examination filed under rule 24B to request for expedited examination under rule 24C.	18A	4000	40000	Not allowed	Not allowed
30.	On application for revocation of a patent under section 85(1).	19	2400	12000	2650	13200
31.	On application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4).	20	2400	12000	2650	13200
32.	On request for termination of compulsory licence under section 94.	21	2400	12000	2650	13200
33.	On application for registration as a patent agent under rule 109(1) or rule 112.	22	3200	Not applicable	3500	Not applicable
34.	On request for appearing in the qualifying examination under rule 109(3).	—	1600	Not applicable	1750	Not applicable
35.	For continuance of the name of a person in the register of patent agents—					
	(i) for the 1st year to be paid along with registration;	—	800	Not applicable	880	Not applicable
	(ii) for every year excluding the 1st year to be paid on the 1st April in each year.	—	800	Not applicable	880	Not applicable
36.	On application for duplicate certificate of patent agent under rule 111A.	—	1600	Not applicable	1750	Not applicable
37.	On application for restoration of the name of a person in the register of patent agents under rule 117(1).	23	1600 (Plus continuation fee under entry number 35)	Not applicable	1750 (Plus continuation fee under entry number 35)	Not applicable
38.	On a request for correction of clerical error under section 78(2).	—	800	4000	880	4400
39.	On application for review	24	1600	8000	1750	8800

	or setting aside the decision or order of the controller under section 77(1)(f) or 77(1)(g).					
40.	On application for permission for applying patent outside India under section 39 and rule 71(1).	25	1600	8000	1750	8800
41.	On application for duplicate patent under section 154 and rule 132.	—	1600	8000	1750	8800
42.	(i) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(1).	—	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
	(ii) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(2).	--	2400 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	12000 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	3300 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	13200 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)
43.	For certifying office copies, printed each.	—	800	4000	880	4400
44.	On request for inspection of register under section 72, inspection under rule 27 or rule 74A.	—	320	1600	350	1750
45.	On request for information under section 153 and rule 134.	—	480	2400	530	2650
46.	On form of authorisation of a patent agent.	26	No fee	No fee	No fee	No fee
47.	On petition not otherwise provided for.	—	1600	8000	1750	8800
48.	For supplying of photocopies of the documents, per page.	—	10	10	10	10
49.	Transmittal fee for International application.	—	3200	16000	3500	17600
50.	Transmittal fee for International application (for ePCT filing).	—	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable
51.	For preparation of certified copy of priority document and for transmission of the same to the International Bureau of World Intellectual Property Organization.	—	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
52.	For preparation of certified copy of priority document and e-transmission through WIPO DAS.	—	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable
53.	On statement regarding	27	No fee	No fee	No fee	No fee

	working of a patented invention on a commercial scale in India under section 146(2) and rule 131(1).					
54.	To be submitted for claiming the status of a small entity or startup.	28	No fee	No fee	No fee	No fee
55.	Application for withdrawing the application under section 11B(4), and rules 7(4A) and 26.	29	No fee	No fee	No fee	No fee
56.	Request for adjournment of hearing under rule 129A (for each adjournment).	-	1000	5000	1100	5500
57.	Miscellaneous form under rule 8(2), to be used when no other form is prescribed.	30	As applicable			
58.	Grace period.	31	11200	84000	Not allowed	Not allowed

14. In the principal rules, in THE SECOND SCHEDULE,-

a. in the LIST OF FORMS, after “Form No. 30”, the following shall be inserted, namely:-

"31.	Section 31 and rule 29A	Grace period.”.
------	-------------------------	-----------------

b. for Form 1, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM 1				(FOR OFFICE USE ONLY)			
THE PATENTS ACT 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003							
APPLICATION FOR GRANT OF PATENT							
(See section 7, 54 and 135 and sub-rule (1) of rule 20)							
				Application No.			
				Filing date:			
				Amount of Fee paid:			
				CBR No:			
				Signature:			
1. APPLICANT'S REFERENCE / IDENTIFICATION NO. (AS ALLOTTED BY OFFICE)							
2. TYPE OF APPLICATION [Please tick () at the appropriate category]							
Ordinary ()		Convention ()		PCT-NP ()		PPH ()	
Divisional ()	Patent of Addition ()	Divisional ()	Patent of Addition ()	Divisional ()	Patent of Addition ()		
3A. APPLICANT(S)							
Name in Full	Gender (optional)	Nationality	Country of Residence	Age (optional, for natural persons)	Address of the Applicant		
					House No.		
					Street		

					City	
					State	
					Country	
					Pin code	
3B. CATEGORY OF APPLICANT [Please tick () at the appropriate category]						
Natural Person ()		Other than Natural Person ()			Educational institution ()	
		Small Entity ()	Startup ()	Others ()		
4. INVENTOR(S) [Please tick () at the appropriate category]						
Are all the inventor(s) same as the applicant(s) named above?		Yes ()		No ()		
If "No", furnish the details of the inventor(s)						
Name in Full	Gender (optional)	Nationality	Age (optional, for nature persons)	Country of Residence	Address of the Inventor	
					House No.	
					Street	
					City	
					State	
					Country	
					Pin code	
5. TITLE OF THE INVENTION						
6. AUTHORISED REGISTERED PATENT AGENT(S)				IN/PA No.		
				Name		
				Mobile No.		
7. ADDRESS FOR SERVICE OF APPLICANT IN INDIA				Name		
				Postal Address		
				Telephone No.		
				Mobile No.		
				Fax No.		
				E-mail ID		
8. IN CASE OF APPLICATION CLAIMING PRIORITY OF APPLICATION FILED IN CONVENTION COUNTRY, PARTICULARS OF CONVENTION APPLICATION						
Country	Application Number	Filing date	Name of the applicant	Title of the invention	IPC (as classified in the convention country)	
9. IN CASE OF PCT NATIONAL PHASE APPLICATION, PARTICULARS OF INTERNATIONAL APPLICATION FILED UNDER PATENT CO-OPERATION TREATY (PCT)						
International application number				International filing date		
10. IN CASE OF DIVISIONAL APPLICATION FILED UNDER SECTION 16, PARTICULARS OF ORIGINAL (FIRST) APPLICATION						
Original (first) application No.				Date of filing of original (first) application		
11. IN CASE OF PATENT OF ADDITION FILED UNDER SECTION 54, PARTICULARS OF MAIN APPLICATION OR PATENT						
Main application/patent No.				Date of filing of main application		
12. DECLARATIONS						
(i) Declaration by the inventor(s)						
(In case the applicant is an assignee: the inventor(s) may sign herein below or the applicant may upload the assignment or enclose the assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period). I/We, the above named inventor(s) is/are the true & first inventor(s) for this Invention and declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative. (a) Date						

(b) Signature(s) (c) Name(s)			
(ii) Declaration by the applicant(s) in the convention country (In case the applicant in India is different than the applicant in the convention country: the applicant in the convention country may sign herein below or applicant in India may upload the assignment from the applicant in the convention country or enclose the said assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period) I/We, the applicant(s) in the convention country declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative. (a) Date (b) Signature(s) (c) Name(s) of the signatory			
(iii) Declaration by the applicant(s) I/We the applicant(s) hereby declare(s) that: - ☐ I am/ We are in possession of the above-mentioned invention. ☐ The provisional/complete specification relating to the invention is filed with this application. ☐ The invention as disclosed in the specification uses the biological material from India and the necessary permission from the competent authority shall be submitted by me/us before the grant of patent to me/us. ☐ There is no lawful ground of objection(s) to the grant of the Patent to me/us. I am/we are the true & first inventor(s). ☐ I am/we are the assignee or legal representative of true & first inventor(s). ☐ The application or each of the applications, particulars of which are given in Paragraph-8, was the first application in convention country/countries in respect of my/our invention(s). ☐ I/We claim the priority from the above mentioned application(s) filed in convention country/countries and state that no application for protection in respect of the invention had been made in a convention country before that date by me/us or by any person from which I/We derive the title. ☐ My/our application in India is based on international application under Patent Cooperation Treaty(PCT) as mentioned in Paragraph-9. ☐ The application is divided out of my /our application particulars of which is given in Paragraph- 10 and pray that this application may be treated as deemed to have been filed on DD/MM/YYYY under section 16 of the Act. ☐ The said invention is an improvement in or modification of the invention particulars of which are given in Paragraph-11.			
13. FOLLOWING ARE THE ATTACHMENTS WITH THE APPLICATION			
(a) Form 2			
Item	Details	Fee	Remarks
Complete/ provisional specification)#	No. of pages		
No. of Claim(s)	No. of claims and No. of pages		
Abstract	No. of pages		
No. of Drawing(s)	No. of drawings and No. of pages		

In case of a complete specification, if the applicant desires to adopt the drawings filed with his provisional specification as the drawings or part of the drawings for the complete specification under rule 13(4), the number of such pages filed with the provisional specification are required to be mentioned here.

(b) Complete specification (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(c) Sequence listing in electronic form

(d) Drawings (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(e) Priority document(s) or a request to retrieve the priority document(s) from DAS (Digital Access Service) if the applicant had already requested the office of first filing to make the priority document(s) available to DAS.

(f) Translation of priority document/Specification/International Search Report/International Preliminary Report on Patentability.

(g) Statement and Undertaking on Form 3

(h) Declaration of Inventorship on Form 5

(i) Power of Authority

(j).....

Total fee ₹.....in Cash/ Banker's Cheque /Bank Draft bearing No..... Date on
..... Bank.

I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge, information and belief the fact and matters stated herein are correct and I/We request that a patent may be granted to me/us for the said invention.

Dated this.....day of.....20.....

Signature:

Name:

To,

The Controller of Patents

The Patent Office, at.....

Note: -

* Repeat boxes in case of more than one entry.

* To be signed by the applicant(s) or by authorized registered patent agent otherwise where mentioned.

* Tick (☐) /cross (x) whichever is applicable/not applicable in declaration in paragraph-12.

* Name of the inventor and applicant should be given in full, family name in the beginning.

* Strike out the portion which is/are not applicable.

* For fee: See First Schedule.”;

(iii) for Form 3, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM 3

THE PATENTS ACT, 1970(39 of

1970)

and

THE PATENTS RULES, 2003

STATEMENT AND UNDERTAKING UNDER SECTION 8 (See section 8; Rule 12)					
1. Name of the applicant(s).		I/We..... hereby declare:			
2. Name, address and nationality of the joint applicant.		(i) that I/We who have made the application for patent number in India, dated, alone/jointly with (ii) that I/We have not made any application for the same/substantially the same invention outside India Or (iii) that I/We have made for the same/ substantially same invention, application(s) for patent in the other countries, the particulars of which are given below:			
Name of the country	Date of application	Application No.	Status of the application	Date of publication	Date of disposal
3. Name and address of the assignee		(i) that the rights in the application(s) filed in India has/have been assigned to..... (ii) that I/We undertake that upto the date of grant of the patent by the Controller, I/We would keep him informed in writing regarding the details of corresponding applications for patents filed outside India in accordance with the provisions contained in section 8 and rule 12. Dated this.....day of.....20.....			
4. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent.		Signature.			
5. Name of the natural person who has signed.		(.....).			
		To The Controller of Patents, The Patent Office, at.....			
Note.- Strike out whichever is not applicable;”;					

(iv) for Form 4, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM 4 THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003
--

REQUEST FOR EXTENSION OF TIME [See sections 53(2), and 142 (4); rules 12(5), 13(6), 24B(6), 24C(11), 80(1A), 130 , 131(2) and 138]	
1. Name of the applicant	I/We..... hereby request for

	extension of time formonths(s) under section/rule.....in connection with my/our/application/Patent No..... The reasons for making the request are as follows:- Dated this.....day of.....20....
2. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent	Signature (.....)
3. Name of the natural person who has signed	
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at.....
Note.- For fee: See First Schedule.”;	

(v) for Form 27, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM 27

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

AND

THE PATENTS RULES, 2003

No Fee

STATEMENT REGARDING THE WORKING OF PATENTED INVENTION(S) ON A COMMERCIAL SCALE IN

INDIA

[See section 146(2) and rule 131(1)]

1. Insert name, address, nationality, patent number(s).	I/ We, the Patentee(s)/ Licensee, in respect of patent number(s), furnish this statement, (Explanation: One form may be filed in respect of multiple patents, provided all of them are related patents and are granted to the same patentee(s)).		
2. State the financial year to which the statement relates.	in respect of the financial year		
3. Worked / not worked. Please state whether each patent in respect of which this form is being filed is worked or not worked.	Patent Number(s)	Worked [Tick () if applicable]	Not worked [Tick () if applicable]

	The facts and matters stated above are true to the best of my/ our knowledge, information and belief. Dated this day of 20.....
4. To be signed by Patentee(s) / Licensee / Authorised Agent furnishing the statement.	Signature(s) To The Controller of Patents, The Patent Office, at

Note: 1. Every patentee and every licensee (exclusive or otherwise) is required to file this Form; where a patent is granted to two or more persons, this form may be filed jointly by all or any of such persons.

2. Subject to conditions specified under Section 83 of the Patent Act, 1970, a Patented invention shall not be considered as 'not worked' merely on the ground that the patented product has been imported in India.

(vi) after Form 30, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM 31

THE PATENTS ACT, 1970(39 of 1970)

AND

THE PATENTS RULES, 2003

GRACE PERIOD

[See section 31 and rule 29A]

1. Name, address, nationality, and application number.	I/ We, the applicant, in respect of application number....., filed on.....hereby claim the benefit of grace period provided under section 31.	
2. Applicable provision	☐ Section 31(a) ☐ Section 31(b) ☐ Section 31(c) ☐ Section 31(d)	
3. Documents to be submitted asevidence. Note: Evidence may also include an affidavit.	(i) Section 31(a)	With reference to: a) the earliest date of display or use BOX FOR DDMMYYYY; and b) that the display occurred with the consent of the true and first inventor or a person deriving title from him; and YES NO c) that the display occurred at an industrial or other exhibition to which the provisions of this section have been extended by the Central Government by notification in the Official Gazette; the following documentary evidence is submitted:

		
	(ii) Section 31(b)	With reference to: a) the earliest date of publication or use; b) the documentary evidence in respect of section 31(a) above; and c) the documentary evidence to the effect that the publication of any description of the invention occurred in consequence of the display or use of the invention as stated in section 31(b); the following documentary evidence is submitted:

		
	(iii) Section 31(c)	With reference to: a) the earliest date of use; b) the documentary evidence in respect of section 31(a) or section 31(b) as mentioned above; and c) the documentary evidence regarding use of the invention as stated in section 31(c); and d) the documentary evidence or affidavit that the use of the invention occurred without the consent of the true and first inventor or a person deriving title from him; the following documentary evidence is submitted:
	(iv) Section 31(d)	With reference to: a) the earliest date of description or publication; b) the description of the invention in a paper read by the true and first inventor before a learned society; c) the description of the invention published by the true and first inventor or with his consent in the transactions of a learned society; the following documentary evidence is submitted:
4. Undertaking	That my invention was in the public domain from DDMMYYYY and this application is made not later than 12 months from that date (earliest date as stated above in respect of section 31(a), 31(b), 31(c), or 31(d)).	
	The facts and matters stated above are true to the best of my/ our knowledge, information and belief. Dated this day of 20.....	
5. To be signed by Applicant / Authorised Agent.	Signature(s) To The Controller of Patents, The Patent Office,	

Note: Affidavit, if any, shall be signed by the applicant.	at
Note: Select the options that are applicable.”.	

16. In the principal rules, for THE FOURTH SCHEDULE, the following schedule shall be substituted, namely,-

“THE FOURTH SCHEDULE

[See proviso to rule 136(1)]

Number of Entry	Matter in respect of which cost to be awarded	Amount (in rupees)	
		Natural person(s) or Startup(s) or Small entity(ies) or educational institution(s)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entity(ies) or educational institution(s)
1.	For notice of opposition under sections 25, 57, 60, 63, 78, 87(2) or 88(4).	2400	12000
2.	For application for compulsory licence under sections 84(1), 91(1) or 92(1).	1500	6000
3.	For application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4) .	2400	12000
4.	For notice of intention to attend the hearing under rule 62(2).	1500	6000
5.	Stamp fee for power of attorney where a patent agent or other person has been appointed or stamp fee in respect of relevant affidavits.	The amount actually paid.	The amount actually paid.
6.	For written statement under rule 57 or reply statement under rule 58 or for each affidavit, if relevant.	4000	5000
7.	For each document of publication produced in the proceedings, if relevant.	1600	2000
8.	For each unnecessary or irrelevant affidavit or citation.	1600	2000
9.	For every day or part day of hearing before the Controller.	4000	5000
10.	Sub-rule (2) of rule 136	Aggregate of amounts actually paid in respect of entries 1, 2, 12, 27, 28, 29 of the First Schedule, as may be applicable	Twice the aggregate of amounts actually paid in respect of entries 1, 2, 12, 27, 28, 29 of the First Schedule, as may be applicable”.

17. In the principal rules, in the FIFTH SCHEDULE, for the headings,

“Sl. No.	On what payable (Relevant provision of Patents Rules, 2003, if any)	Relevant Rule of regulations under the Treaty	For Natural Person	Other than natural person either alone or jointly with natural person”,
----------	---	---	--------------------	---

the following headings shall be substituted, namely:-

“S. No.	On what payable (Relevant provision of Patents Rules, 2003, if any)	Relevant Rule of regulations under the Treaty	Natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies) or educational institution(s)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies) or educational institution(s)”.
---------	---	---	---	---

[F. No.- P-24031/14/2023-IPR-III]

HIMANI PANDE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub- Section (ii) vide number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended vide notification number G.S.R. 646 (E) dated the 21st September, 2021.